शोध मंथन Vol. XI No.IV Oct.-Dec. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति एवं चुनौतियॉं – एक समाजशास्त्रीय विवेचन

डॉ0 (श्रीमती) मोहिनी मौर्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
अखिल भाग्य महाविद्यालय, रानापार, गोरखपुर
ईमेलः sanjaymourya999@gmail.com

सारांश

हिन्दू समाज में महिलाओं को ज्ञान, शक्ति और सम्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। इनके रुप में सरस्वती, दुर्गा एवं लक्ष्मी की पूजा की जाती है। महिला को समाज ने पुरुष का आधा हिस्सा माना है और अर्द्धांगिनी के रुप में स्थान दिया है। "नारी परिवार की नींव है, परिवार समुदाय की तथा समुदाय राष्ट्र की।" अर्थात महिला ही राष्ट्र की नींव है। जिस राष्ट्र या देश में महिलाओं का सम्मान होगा, वह राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र होगा। मनु महाराज ने मनु–स्मृति में नारी का विवेचन करते हुये लिखा है कि "यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"। अर्थात जहॉं नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं का व्यक्तित्व सुरक्षित था, वे अपना जीवन साथी स्वंय चुनती थी। सीता, कुन्ती अथवा अन्य कोई सुकन्या सभी को स्वयंवर का अधिकार रहा है। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी होने के बावजूद अचानक भारत की परतन्त्रता के साथ–साथ महिलाओं की परतन्त्रता का भी श्री गणेश हुआ। शनैः शनैः समय और विचारधाराओं में परिवर्तन से, ज्ञात और अज्ञात कारणों से घर की ऊॅची ऊॅची चार दीवारी में बन्द होकर अज्ञान के अंधकार में डुबकियां लगाने लगी, उसका पग–पग पर अपमान होता रहा तथा लगातार ठुकराये जाने के बाद भी वह जीवन को अन्तिम श्वांस तक सामाजिक यातनाओं को चुपचाप सहन करती रही। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवाओं की दीन–हीन दशा, सती प्रथा, कन्या पक्ष का नीचा समझा जाना, महिलाओं की उच्च शिक्षा का बहिष्कार, उत्तराधिकार से वंचित होना और आर्थिक परतन्त्रता जैसी सामाजिक कुरीतियों ने पराधीन भारत को इतना निम्न बनाया जाता रहा कि वह महिलाओं की पीड़ा को समझ न सका। "महिला पैदा नहीं होती अपितु समाज द्वारा बनायी जाती है"। सोमन–द–बुआ जैसी नारीवादी लेखिका का यह कथन सही लगता है कि जब हम सम्पूर्ण परिवेश में स्त्रियों की प्रस्थिति का अवलोकन करते हैं। पहनावे से लेकर काम करने के क्षेत्र और कैरियर तक जेण्डर के आधार पर निर्धारित कर दिये गये। लिंग भेद प्रकृति प्रदत्त है लेकिन जेण्डर भेदभाव सामाजिक सांस्कृतिक देन है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पायी।

मुख्य शब्दः *अर्द्धांगिनी, सहधर्मिणी, संकीर्णता, प्रस्थिति, महिला, परिवर्तन, लिंगानुपात, शोषण, उत्तराधिकार, निरक्षर, पक्षपात, उत्पीड़ित, सामाजिक, बहिष्कार।*

प्रस्तावना

किसी भी समाज के सर्वांगिण विकास के लिए पुरुष और महिला का परस्पर योगदान सर्वोपरि है। पुरुष और महिला समाज रुपी रथ के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया निर्बल है तो समाज की गति रुक जायेगी। अतः आवश्यक है कि समाजरुपी रथ के दोनो पहिये पुरुष और महिला समान रुप से सक्षम हों। लेकिन महिलाओं के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोंण पाये जाते हैं। एक दृष्टिकोंण समाज में स्त्री को पुरुषों के समकक्ष सम्मान एवं परिस्थिति दिलाने के पक्ष में है तो वहीं दूसरा दृष्टिकोंण समाज में स्त्री को पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है। अतः उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित करने के पक्ष में है। प्रथम दृष्टिकोंण में नारी को व्यक्ति की समस्त इच्छाओं को देने वाली देवियों के रुप में उसे मान्यता प्राप्त थी। अधिकार और अन्याय का दमन करने वाली नारी महाकाली थी, तो धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी भी वहीं थी। विद्यादायिनी सरस्वती और त्याग की प्रतिमूर्ति सीता भी वही थी। सत्ता की शक्ति स्त्री को माना गया था क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना शव हैं।

महिलाओं के प्रति दूसरा दृष्टिकोंण महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का विरोधी है। इसी कारण महिला को समाज में उत्पीड़ित किया जाता है। उसका शोषण व दमन होता है, हिंसा बढ़ती जाती है। उसके साथ बलात्कार किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को सदा से ही अच्छा या सदा से ही दनयीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि युग परिवर्तन के साथ–साथ इस देश की महिलाओं की प्रस्थिति में भी परिवर्तन आता रहा है।

अध्ययन चयन का आधार

प्रस्तुत अध्ययन का आधार भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति में हो रहे परिवर्तन है। वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति अत्यन्त उन्नत अवस्था में थी। उन्हें समाज तथा परिवार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में महिला पुरुष की सहधर्मिणी थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ ह्रास हुआ। धर्मशास्त्र युग में शिक्षा पर प्रतिबन्ध, बाल विवाह पर बल, पुरुष का नारी पर पूर्ण नियंत्रण, बाल–विवाह पर बल, विवाह में कन्या की स्वीकृति का अन्त तथा सती प्रथा आदि कठोर आचरण महिलाओं पर लाद दिये गये। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् महिलाओं की प्रस्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई वह हमारे सामाजिक इतिहास के रुप में सदैव याद रहेगा। स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षा के प्रसार तथा सुधार आन्दोलन के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ सुधार हुआ। परन्तु आज भी भारतीय महिलाओं के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान है।

अध्ययन का उद्देश्य

मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। उसने प्रकृति को समझने एवं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा प्रयास किया है। पी0 वी0 यंग के अनुसार सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है, जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा तथा उसमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अन्तः सम्बन्धों, कारण

सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।" सामाजिक शोध का एक प्रमुख उद्देश्य समाजिक वास्तविकता को यथासम्भव वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रुप में समझना है। सामाजिक शोध के निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देश्य हैः–

(1) सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना तथा सिद्धान्तों का विकास अथवा विस्तार करना।

(2)विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना।

(3)प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धान्तों की पुनः परीक्षा करना।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य भी भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में हो रहे परिवर्तनों का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ढंग से व्याख्या एवं विश्लेषण करना है।

परिकल्पनाएं (Hypothesis)

परिकल्पनाएं वैज्ञानिक अनुसंधान का अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण है। शोध या अनुसंधान शुरु करने से पहले अनुसंधान के कारणों और परिणामों के बारे में शोधकर्ता जो एक निश्चित अवधारणा बना लेता है, उसे ही परिकल्पनाएं कहा जाता है। पी0वी0 यंग के अनुसार 'कार्यकारी या काम चलाऊ परिकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है'। प्राक्कल्पना के द्वारा शोधकर्ता को आरम्भिक जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी सहायता से वह अपने अनुसंधान कार्यक्रम की रुपरेखा का निर्धारण करता है। प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न साहित्यों, पत्र, पत्रिकाओं के अध्ययन के पश्चात निम्नलिखित परिकल्पनाएं निकलकर सामने आयीः–

(1) अशिक्षा के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट आयी।

(2) पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता भारतीय महिलाओं के निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण है।

(3) शिक्षा के प्रसार एवं सुधार आन्दोलन के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार आया।

आंकड़ा स्रोत एवं विधितंत्र

वास्तविक सूचना या आंकड़ों के बिना अनुसंधान या शोध कार्य सम्भव नहीं है। अनुसंधान या शोध की सफलता इसी बात पर निर्भर रहती है कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय के सम्बन्ध में कितने वास्तविक निर्भय योग्य सूचनाओं और आंकड़ों को एकत्रित करने में सफल होता है। यह सफलता सूचना प्राप्त करने के स्रोतों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। सामाजिक अनुसंधान में दो प्रकार की सूचनाओं या आंकड़ों की आवश्यकता होती हैः– (1) प्राथमिक तथ्य या सूचनाएं (2) द्वितीयक तथ्य या सूचनाएं। प्राथमिक आंकड़े (Primary data) वे होते हैं, जिन्हें एक अनुसंधानकर्ता वास्तविक अध्ययन स्थल में जाकर समस्या से सम्बन्धित जीवित व्यक्तियों से साक्षात्कार करके अथवा अनुसूचि और प्रश्नावली की सहायता से एकत्रित करता है। पी0वी0 यंग के अनुसार "प्राथमिक तथ्य सामग्री का तात्पर्य उन सूचनाओं व आंकड़ों से है जिनको पहली बार संकलित किया गया हो तथा जिनके संकलन का उत्तरदायित्व

शोधकर्ता या सर्वेक्षणकर्ता का अपना है।" द्वितीयक तथ्य वे सूचनाएं व आंकड़े हैं जो अनुसंधानकर्ता को प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों (Documents), रिपोर्ट, सांख्यिकी (Statistics), पाण्डुलिपि, पत्र–डायरी, टेप, विडियो कैसेट या इण्टरनेट आदि से प्राप्त होते हैं। ये तथ्य या आंकड़ें स्वंय अनुसंधानकर्ता अपने कार्य में उपयोग करने के लिए करता है।

द्वितीयक तथ्यों के भी दो प्रमुख स्रोत हैंः– (1) व्यक्तिगत प्रलेख (Personal Documents) जैसे आत्मकथा, डायरी पत्र आदि। (2) सार्वजनिक प्रलेख (Public Documents) जैसे रिकार्ड, पुस्तकें, जनगणना रिपोर्ट, विशिष्ट कमेटियों की रिपोर्ट, समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचनाएं, न्यूजरील, कम्प्यूटर सी0डी0 या इण्टरनेट वैबसाइट आदि।

तथ्य या सूचना के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैः–(1) प्राथमिक स्रोत एवं (2) द्वितीयक स्रोत। पी0वी0 यंग के अनुसार प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित हैः– प्रत्यक्ष निरीक्षण या अवलोकन (Observation), प्रश्नावली (Questionaire), अनुसूचि (Schedule), साक्षात्कार (Interview) आदि। प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों को संकलित करने के लिए द्वितीयक आंकड़ों को प्रयोग में लाया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए आवश्यक सूचनाएं और सन्दर्भ निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये जैसे : विभिन्न प्रकार के पत्र–पत्रिकाएं, शोध पत्रों, प्रमाणित पुस्तकों तथा दैनिक समाचार पत्रों से लिया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों का परिकलन भारतीय महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं उनके समस्याओं को आधार मान कर किया गया है।

विभिन्न युगों में महिलाओं की प्रस्थिति

वैदिक युग (Vedic Period)

वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त थे, उन्हें समाज तथा परिवार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। शिक्षा के सम्बन्ध में महिला और पुरुष में कोई विभेद नहीं था। विधवायें पुनर्विवाह कर सकती थी, महिलाओं में पर्दा–प्रथा नहीं थी और वे घर के बाहर आ जा सकती थी। वैदिक काल में महिला पुरुष की सहधर्मिणी थी। पुरुष के समस्त कार्यों में महिला का महत्वपूर्ण योगदान था। पत्नी के रुप में उसका उच्च स्थान था। वेद संहिता के मंत्रों से सम्बद्ध लोपा, मुदा, श्रद्धा कामायनी, विवस्ती, शची आदि प्रसिद्ध हैं। सूर्या, गार्गी, सफलभा, मैत्रेयी आदि नारियॉ भी ब्रह्मवादिनी थी।

ऋग्वेद के मतानुसार नारी ही घर है (The Wife is the home)। अथर्ववेद में कहा गया है कि "नववधू तू जिस घर में जा रही है वहां की तू साम्राज्ञी है। तेरे श्वसुर, सास, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आनन्दित हैं"।

यजुर्वेद से स्पष्ट है कि नारी को संध्या करने तथा उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थे।

"यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।
यत्रोतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऊ फल कियाः।
शोचन्ति जाययो यत्र विनश्यत्याषु तत्कुलम,

न यशोचन्ति तुय त्रैया वर्धते तद्धि सर्वथा।"

अर्थात "जहां नारियों का सत्कार होता है वहां देवता निवास करते हैं और जहां अनादर होता है वहां सभी कियायें निष्फल हो जाती है। यही क्यों, जिस कुल में नारी शोकग्रस्त रहती है वह कुल नष्ट हो जाता है, परन्तु इन्हें जहां कष्ट नहीं हो हाता वह कुल बढ़ जाता है"।

पी0 एच0 प्रभु के अनुसार "जहॉ तक शिक्षा का सम्बन्ध था महिला – पुरुष में कोई विभेद नहीं था और इस युग में दोनो की सामाजिक स्थिति समान रुप से महत्वपूर्ण थी।" इस काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि कुरीतियां नहीं थी। महिलाओं के शील एवं सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म एवं उनका अपमान करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। रामायण और महाभारत में महिला शक्ति, सम्मान, श्रद्धा, प्रेम करुणा, सौन्दर्य, वीरता, त्याग, दया आदि विभिन्न गुणों की प्रतीत थी। पार्वती, अनुसूइया, सीता, द्रौपदी, गान्धारी आदि महिलायें अपना महत्व इतिहास में अंकित किये हुए हैं।

उत्तर – वैदिक काल (Post Vedic Period)

उत्तर–वैदिक काल (600 ई0पू0 300 ई0) में महिलाओं का प्रस्थिति में कुछ ह्रास हुआ। इस काल में पर्दा–प्रथा प्रारम्भ हुई। कम आयु में विवाह का प्रचलन बढ़ा। विधवा विवाह पर रोक होने लगी, शिक्षा प्राप्त करने पर रोक लगने लगा, सती प्रथा का आगमन हुआ, बहु पत्नी प्रथा का प्रचलन बढ़ा। महिलाओं के वेद–पाठ तथा यज्ञ करने पर प्रतिबध लगाया गया। उत्तर–वैदिक काल में धार्मिक तथा समाजिक अधिकारों से वंचित करने के दो निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। (1) कर्मकाण्ड की जटिलता और पवित्रता की धारणा में वृद्धि हुई, जिसके कारण ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि मंत्रों के उच्चारण में तनिक भी भूल अनिष्टकारक होती है। इसलिए महिलाओं को वेदों के अध्ययन से अलग कर दिया गया। (2) दूसरा कारण अन्तर्जातीय विवाह – आर्यो ने अपने समुदाय में स्त्रियों की कमी को पूरा करने के लिए अनार्यो से विवाह किया, जो विधि–विधान आदि से अपरिचित थीं। इस कारण इनको धार्मिक, समाजिक क्षेत्र से दूर रखना उचित समझा जाने लगा। विवाह महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल के अन्त में सैद्धान्तिक रुप से महिलाओं के अधिकारों पर पाबन्दी लग गयी थी, परन्तु व्यावहारिक तौर पर वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही थी।

धर्मशास्त्र युग (300 ई0 – 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक) तीसरी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक का काल धर्मशास्त्र काल कहलाता है। इस काल में स्त्रियां समाजिक एवं धार्मिक संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी (वेदिक काल की गृहलक्ष्मी, माता एवं शक्ति प्रदायिनी देवी अब याचिका, सेविका व निर्बलता के प्रतीक के रुप में दिखाई देने लगी। वैदिक काल की वह महिला जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी अब परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी। धर्मशास्त्र–युग में विष्णु संहिता एवं याज्ञवलक्य संहिता की रचना हुई जिसमें मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी मानकर वैदिक नियमों को पूर्णतः तिलॉजलि दे दी गई। धर्मशास्त्र काल में विवाह ही महिलाओं के लिए एक संस्कार है तथा पति महिला के लिए देवता है। मनुस्मृति में तो महिलाओं के अधिकारों को

छीनते हुए यहां तक लिख दिया है कि "महिला कभी स्वतन्त्र रहने के योग्य नहीं, बचपन में वह पिता के अधिकार, में युवावस्था में वह पति के वश में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहे"। महिलाओं के कर्तव्य की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि उनका परम कर्तव्य पति की सेवा ही है। इस युग में महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

मध्यकालीन युग (Mediaeval age)

16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का समय मध्यकाल नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् महिलाओं की प्रस्थिति जितनी तीव्र गति से पतन की ओर अग्रसर हुई वह हमारे सामाजिक इतिहास में कलंक के रुप में सदैव याद रहेगा। इस युग में भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने से हिन्दू संस्कृति की रक्षा करना अनिवार्य हो गया था इसलिए ब्राह्मणों ने संस्कृति की रक्षा, महिलाओं के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में नियमों को कठोर बना दिया।

मध्यकालीन युग में रक्त की पवित्रता की संकीर्णता का इतना विकास हुआ कि 5–6 वर्ष की आयु में ही विवाह होने लगे, जिसके फलस्वरुप महिलाओं की शिक्षा एवं उनके सामाजिक स्तर में तेजी से गिरावट आयी। पर्दा प्रथा का विकास तो इस सीमा तक हुआ परिवार के अन्य सदस्य तो दूर रहे, पति स्वंय भी किसी अन्य के सामने अपनी पत्नी का मुँह नहीं देख सकता था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का पति के साथ सती हो जाना पतिव्रत धर्म की सर्वोच्च परीक्षा मानी गयी। एक से अधिक पत्नियॉ रखना पुरुषों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बन गया। स्त्रियां अपने अस्तित्व के लिए पूर्णतया पुरुषों पर निर्भर हो गयी। इस युग में महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकारों के सम्बन्ध में थोड़ा सा सुधार हुआ। जिन लड़कियों के भाई नहीं थे उन्हें अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकार मिलने लगा है।

गॉधी जी ने यंग इण्डिया में लिखा है – "ये हमारी अभागी बहने जिन्हें पुरुषों ने अपनी हवस के लिए बेच दिया है, यह बड़े शर्म और दुःख की बात है। महिलाओं के लिए बड़ी अपमानजनक स्थिति है। पुरुष जो कानून बनाने वाला है, उसे महिलाओं के प्रति किए गए व थोपे गये अपमानजनक नियमों व कानूनों के लिए भयानक दण्ड चुकाना पड़ेगा"।

स्वतन्त्रता से पूर्व महिलाओं की प्रस्थिति (Womens status before Independence)

स्वतन्त्रता से पूर्व से हमारा अभिप्राय 18वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो से लेकर स्वतन्त्रता प्राप्ति तक है, जबकि अंग्रेज लोग यहां शासन किया करते थे। इस काल में भारतीयों द्वारा समय–समय पर समाज सुधार के अनेक प्रयास किये गये, लेकिन अंग्रेज सरकार द्वारा इन सुधारों को विशेष एवं व्यावहारिक सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दिनों तक महिलाओं को शिक्षा के सम्बन्ध में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। पारिवारिक क्षेत्र में उनके समस्त अधिकार समाप्त हो गये थे। महिला परिवार की संचालिका थी लेकिन बाद में यह अधिकार पुरुषकर्ता को प्राप्त हो गया था। कम उम्र में ही विवाह हो जाने से परम्परागत रुढ़ियों एवं निषेधों से युक्त, वैदिक काल की वह नारी जो अपने परिवार की 'साम्राज्ञी' थी, सास की सेविका बन कर रह गयी। परिवार में बच्चे को पैदा करना एवं पति के सभी सम्बन्धियों की सेवा करना ही उसका

मुख्य कर्तव्य माना गया। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की निर्योग्यताएं सबसे अधिक देखने को मिलती हैं। महिलाओं को न केवल संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में से हिस्सा देने से वंचित किया गया अपितु अपने पिता की सम्पत्ति पर भी उसका कोई अधिकार नहीं था। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। एक ऐसे समय में जबकि महिला का घर में शोषण होता हो, शोषण करने वाला पुरुष स्वंय अंग्रेजों का गुलाम हो तो वह स्वंय राजनीति में किस प्रकार हिस्सा ले सकती है। सन् 1919 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूर्णतया प्राप्त नहीं था। सन् 1937 के चुनाव में भी पति की शिक्षा और सम्पत्ति के आधार पर बहुत थोड़ी सी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। कुछ महिलाओं ने सन् 1919 में महात्मा गांधी के साथ राजनीति में जरुर हिस्सा लिया लेकिन कुलीन परिवार सदैव इसका विरोध करते रहे।

महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण

वैदिक काल के पश्चात् महिलाओं का समाजिक स्तर निरन्तर गिरता चला गया। उसकी स्थिति एक 'साम्राज्ञी' के स्तर से घटकर दासता के स्तर तक आ गयी। अशिक्षा महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट का एक मुख्य कारण है। विद्वानों के अनुसार हिन्दू वर्ण–व्यवस्था, कर्मकाण्ड की जटिलता एवं ब्राह्मणवाद महिलाओं की स्थिति के पतन के मुख्य कारण हैं। उपनिषद काल में ब्राह्मणों ने जो नियम बनाये उसमें महिला को गौड़ माना गया और उसके अधिकारों को धीरे–धीरे छीन लिया गया। मनु के अनुसार "महिलाओं के लिए विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जो वेद मन्त्र के साथ किया जाता है। उनके लिए पति सेवा एवं गृहकार्य ब्राह्मचारी द्वारा किया जाने वाला अग्नि होम है"। इससे पति की प्रस्थिति ऊंची उठी और वह देवता बन गया। अशिक्षा के कारण महिलाओं ने बिना किसी तर्क के इन पक्षपातपूर्ण धार्मिक विधानों को न ही स्वीकार किया होता और न ही वह अपने अधिकारों से वंचित रह पाती। प्रारम्भिक वैदिक साहित्य से हमें यह ज्ञात होता है कि वैदिक युग में लड़की का भी उपनयन संस्कार होता था और वह भी लड़कों की भॉति आश्रमों में शिक्षा के लिए जाती थी। धीरे–धीरे उन्हें शिक्षा से दूर किया जाता रहा। मुस्लिम काल में स्त्री पूर्णतः निरक्षर थी। नई दिल्ली स्थित 'भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद' द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि सन् 1971 में 18. 4 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर थीं। सन् 1991, 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 39.42, 54.16 तथा 65.46 हो गया।

पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता

उत्तरवैदिक काल के बाद से जब महिलाओं के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार समाप्त हो गये तो वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णरुपेण पुरुषों पर आश्रित हो गयीं। इस स्थिति में महिलाओं का शोषण होने पर भी वे परिवार की सदस्यता नहीं छोड़ सकती थी। अशिक्षा ने भी उन्हें इस स्थिति में सहयोग दिया। अशिक्षा के कारण उनका आर्थिक किया करना सम्भव नहीं रहा तो उन्हें पति की ओर ही आर्थिक सहयोग के लिए समर्पण करना पड़ा।

संयुक्त परिवार व्यवस्था

संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न रही।

संयुक्त परिवार प्रणाली में महिलाओं को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रदान करके इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। महिलाओं को घर में दबाकर रखा जाता था। अनेक गाथाओं और धार्मिक उपदेष का सहारा लेकर महिलाओं को यह विश्वास दिलाया जाता था कि पुरुष चाहे कितना भी पापी, क्रोधी, अत्याचारी क्यों न हो, उसको देवता मानकर पूजा करना महिला का परम धर्म है। महिलाओं के समस्त अधिकार छीनकर उसे पंगु बना दिया और मनमाना शोषण किया। बाल विवाह प्रथा के कारण महिलाओं की प्रस्थिति का पतन हुआ। बाल विवाह के कारण महिलाओं के शिक्षा का स्तर गिर गया जो उनकी निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण है। वैवाहिक कुरीतियों : जैसे अन्तर्विवाह, कुलीन–विवाह, दहेज–प्रथा विधवा विवाह पर नियंत्रण आदि ने भी समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को गिराने में योगदान दिया।

मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरुप भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर गिर गया। इससे पहले ही महिलाओं को समस्त अधिकारों से वंचित किया जा चुका था फिर भी महिलाओं की स्थिति इतनी निम्न नहीं थी। मुसलमानों में स्त्रियों के अभाव के कारण वे यहॉ की महिलाओं एवं विधवाओं से विवाह करने का पूरा प्रयत्न करने लगे जिसके कारण महिलाओं पर नियंत्रण और कठोर हो गया। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का कठोरता से पालन किया जाने लगा। विधवाओं की स्थिति कैदी के समान हो गयी।

सुधार आन्दोलन और महिलाओं की वर्तमान प्रस्थिति (Reform movement and present status of women)

जब स्वार्थ, अन्याय और शोषण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गए तब उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हिन्दू समाज में महिला के शोषण के खिलाफ होने वाले आन्दोलन इसको स्पष्ट करता है। इस आन्दोलन में समस्त परम्परागत निर्योग्यताओं को चुनौती दी गयी। 1828 में सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के खिलाफ आन्दोलन किया जिसका परिणाम यह निकला कि 1829 में कानून बना कर इसे समाप्त कर दिया गया। राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार देने, बाल–विवाह समाप्त करने एवं महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। राज राम मोहन राय के प्रयत्नों से ही सुधार आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त हो सका। 1875 में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की तथा वैदिक आदर्शों की ओर हिन्दू समाज को ले जाने का प्रयास किया। इस संस्था ने उत्तरी भारत में महिला शिक्षा का प्रचार करने, पर्दा–प्रथा तथा बाल–विवाह रोकने के क्षेत्र में अच्छा प्रयास किया। ईश्वर चन्द्र विद्या सागर ने व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए विधवा–विवाह और बहुपत्नी विवाह के नियमों का विरोध किया तथा महिला शिक्षा को महत्व दिया। विद्या सागर ने अपने लड़के का विवाह एक विधवा से कर एक आदर्श प्रस्तुत किया। 1856 में विधवा विवाह कानून पास हो गया।

स्वतन्त्रता के पश्चात महिलाओं की प्रस्थिति

पं0 जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि "आप किसी देश की स्थिति वहां की औरतों

की दशा को देखकर जान सकते हैं।" भारतीय समाज में स्वतन्त्रता के पश्चात महिलाओं के समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रस्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। डॉ0 एम0 एन0 श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और जातीय गतिशीलता को इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण माना है। इसके साथ ही शिक्षा का प्रसार तथा औद्योगीकरण ने उन्हें आर्थिक जीवन में प्रवेश करने के अवसर दिये हैं, जिसके परिणामस्वरुप महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर से कम होने लगी। महिलाओं ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाचार–पत्र, संचार के साधनों पत्र–पत्रिकाओं को माध्यम के रुप में अपनाया। सामाजिक अधिनियमों के कारण बाल–विवाह, दहेज प्रथा, अन्तर्जातीय विवाह जैसी समस्याओं का निदान सम्भव हो गया। 1950 में नवीन संविधान में महिला एवं पुरुषों के समान अधिकार दिये गये। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू नाबालिग और संरक्षण अधिनियम 1956, हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निरोधक अधिनियम–1961 आदि के प्रभाव के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन हुए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई। 1882 में 2.054 महिलाएं थी जो कुछ पढ़ लिख सकती थीं। 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार साक्षर महिलाओं की संख्या बढ़कर लगभग 4 करोड़ 93 लाख हो गयी है। 1883 में एक महिला ने पहली बार बी0ए0 पास किया था। वहीं 1991 में 8.5 लाख एवं 1999 में 24.27 लाख लड़कियों ने विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकीय और स्नात्कोत्तर कक्षाओं में सभी विषयों में पढ़ाई कर रही थी। सन् 1991, 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 39.42, 54.16 तथा 65.46 हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा, औद्योगिकरण और नवीन विचारधारा के कारण पुरुषों पर से महिलाओं की आर्थिक निर्भरता कम होती जा रही है। निम्न वर्ग की बहुत सी स्त्रियां स्वतन्त्रता से पूर्व भी उद्योगों एवं कार्यों के द्वारा जीविका उपार्जित करती थी। लेकिन उच्च वर्ग की महिलाओं के द्वारा कोई आर्थिक क्रिया करना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। वर्तमान में शिक्षा स्वास्थ्य, पुलिस, सेना, चिकित्सा, समाज कल्याण, मनोरंजन, उद्योग और कार्यालयों में महिला कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। महिलाओं की पारिवारिक प्रस्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। किसी समय पुरुष महिला को अपनी दासी मानता था वही ही आज उनकी सहयोगी और मित्र है। वर्तमान में महिलाएं इस बात के लिए कदापि तैयार नहीं है कि संयुक्त परिवार में उनका शोषण हो बल्कि उसने एक स्वतन्त्र परिवार की स्थापना करके अपने अधिकारों के पूर्ण उपयोग करने के लिए चेष्टा की है। महिलाओं की इच्छा का बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक आय के उपयोग, संस्कारों का प्रबन्ध और पारिवारिक योजनाओं में निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

वर्तमान समय में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की प्रस्थिति उन्न्त हुई है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। किन्तु उच्च स्तरों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रश्न पर पुरी संसद की असहमति बनी हुई है। भारत में वर्तमान

लोकसभा (पन्द्रहवीं लोकसभा – वर्ष 2009) में महिलाओं की सदस्यता मात्र 10.8 प्रतिशत है। जबकि पूरे विश्व में महिला सांसदों का कुल प्रतिशत 17 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 325 और 326 भारत में सभी स्त्री पुरुषों को राजनीतिक समानता का अधिकार देता है। स्वामी विवेकानन्द से एक बार पूछा गया कि महिलाओं के लिए क्या अच्छा है तो उन्होने कहा "महिलाएं को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वंय हल कर सके।"

वर्तमान में महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

भारतीय महिलायें अपनी पूर्व स्थिति से तो आगे बढ़ी हैं किन्तु पुरुषों से अभी भी पीछे हैं। वर्ष 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत है, तो महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यहां का लिंगानुपात 933 (1000 पुरुषों पर) महिलाए हैं। लिंगानुपात पर यूनीसेफ की वार्षिक रिपोर्ट 'स्टेट आफ द वल्डर्स चिल्ड्रेन, 2007 के अनुसार लड़कियों की स्थिति को लेकर भारत का स्थान पाकिस्तान और नाइजीरिया से भी नीचे है। वर्ष 2007 में देश के 80 प्रतिशत जनपदों में लिंगानुपात में गिरावट आयी है। वर्तमान में भारत में लिंगानुपात 927 (महिलायें : प्रति एक हजार पुरुष) हैं। पाकिस्तान और नाइजीरिया में यह अनुपात क्रमशः 958 और 965 है।

घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा बुजुर्ग स्त्रियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्या को सम्मिलित किया जा सकता है। दिल्ली में 1990 व 2000 ई0 में स्त्रियों के विरुद्ध अपराध के मामले निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है

वर्ष	उत्पीड़न	बलात्कार	पति/पति पक्ष द्वारा क्रूरता	छेड़छाड़	दहेज हत्यायें
1900	176	179	341	2061	116
2000	123	435	106	549	125

वर्तमान समय में भी महिलाओं के समक्ष अनेक चुनौतियां है। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, हत्या तथा पत्नी को पीटना, घरेलू हिंसा आदि समस्यायें समाज में आज भी विद्यमान है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला और पुरुष ये दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। महिला के बिना दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर ने महिला की शारीरिक रचना इस प्रकार की है कि वह संसार के भविष्य की वह स्वंय निर्मात्री हो गयी। कई युग–पुरुष हुए हैं जो नारी के किसी न किसी रुप से चाहे वह मां, बहन, पत्नी, भाभी अथवा दायी रही हो से प्रभावित होकर महान बने। कहा गया है कि युग चाहे तो भी रहा हो संसार की तरक्की महिला के विकास पर ही आधारित है। भारतीय महिलाओं के आदर्श को, उनके सम्मान को सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ उनकी आत्मनिर्भरता को भी स्थायी रुप देना होगा तभी देश और समाज का कल्याण सम्भव है। क्योंकि नारी के बारे में किसी कवि ने ठीक ही कहा है–

तू ही अंधकार है और तू ही तो प्रकाश है,
तू ही तो धरा है और तू ही तो आकाश है।
तू ही मोक्ष द्वार है और तू ही मृत्युपाश है,
तू ही विकास है और तू ही विनाश है।

'स्त्री' मानव जाति की जननी और दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक आदर्श कड़ी है। स्त्रियों के धर्म, सहनशक्ति, प्रेम, अनुराग, सहानुभूति और उदारता आदि कुछ आदर्शभूत और अनुकरणीय गुणों को ध्यान में रखते हुये भारत को 'भारत माता' का प्रतिरुप माना गया है। महिलाओं के सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द का यह कथन एक कटु सत्य है कि "जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विष्व का कल्याण नहीं हो सकता। किसी भी पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना सम्भव नहीं।"

संदर्भ ग्रन्थ

1. लवानिया डॉ0 एम0एम0, जैन शशी के0 *'भारतीय सामाजिक व्यवस्था'* प्रकाशक, रिसर्च पब्लिकेशन्स 89 ट्रिपोलिया बाजार, जयपुर–2, पृ0 **145**
2. मिश्रा डॉ0 मंजू, *'भारतीय सामाजिक व्यवस्था'* प्रकाशक के0एस0के0 पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, 7/26 बेसमेन्ट, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली – 110002 पृ0 **208**
3. पाण्डेय तेजस्कर, पाण्डेय संगीता, *भारत में सामाजिक समस्यायें* प्रकाशक मैक–ग्रा. हिल्स एजूकेषन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड पी–24 ग्रीन पार्क एक्सटेन्सन, नई दिल्ली पृ0 **115**
4. षर्मा जी.एल. 'सामाजिक मुद्दे' प्रकाशक प्रेम रावत फार रावत पब्लिकेशन्स, सत्यम अपार्ट्स, सेक्टर–3, जवाहर नगर, जयपुर 302004 (भारत) पृ0 **420**
5. सिंह प्रोफेसर डॉ0 गोपी रमण प्रसाद *'भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं संस्थाएं'*, प्रकाशक अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आफिस : 28/115 ज्योति ब्लाक, संजय प्लेस आगरा–2 पृ0 **153**
6. सिंह डॉ बी0 एन0, सिंह जनमेजय 'ग्रामीण समाजशास्त्र', प्रकाशक विवेक प्रकाशन–7 यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7 संस्करण–2018 पृ0 **204–205**
7. मजूमदार डॉ0 डी0एन0, *Races and Culture of India* 1958 P. **251**
8. सिंह डॉ0 अमिता *"लिंग एवं समाज"* प्रकाशक – विवेक प्रकाशन 7–यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7 पृ0 **51**
7. मुखर्जी डॉ0 रवीन्द्र नाथ *"सामाजिक अनुसंधान की विधियाँ"* प्रकाशक –विवेक प्रकाशन 7–यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7 पृ0 **139**
8. अग्रवाल जी0के0, पाण्डेय एस0एस0 *'सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी'* प्रकाशन एस बी पी डी पब्लिषिंग हाउस आगरा (उ0प्र0) संस्करण, अप्रैल 2020 पृ0 **125–126**
9. कु0 अनिल, *'रिसर्च मैथ्योडालाजी तर्क एवं विधियां'* आर्या पब्लिकेशन्स दिल्ली, संस्करण–2020 पृ0 **155–178**
10. आहुजा राम आहुजा मुकेश *'विवेचनात्मक अपराध'* प्रकाशक – प्रेम रावत, फार रावत पब्लिशेन्स

सत्यम एपार्टस, सेक्टर–3 जवाहर नगर, जयपुर संस्करण 2020 पृ0 **239, 240, 241**

11. बघेल डॉ0 डी0एस0, *'शोध पद्धतियॉ'*, प्रकाशक एवं मुद्रक – एस बी पी डी पब्लिशिंग हाउस 3/20–बी निकट तुलसी सिनेमा आगरा–मथुरा बाईपास रोड, आगरा – 282002 (उ0प्र0) संस्करण 295 पृ0 **420**
12. दोशी एस0एस0, पी0सी0 जैन, *'भारतीय समाज, संरचना और परिवर्तन*, प्रकाशक – नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 337, चौड़ा रास्ता, जयपुर पृ0 **324–325**
13. अग्रवाल, डॉ0 अमित *'भारतीय सामाजिक समस्यायें'*, प्रकाशकः विवेक प्रकाशक 7 यू0ए0 जवाहर नगर दिल्ली –7 पृ0 **171 – 172**
14. महाजन डॉ0 धर्मवीर, महाजन डॉ0 कमलेश, **'भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्यायें'** प्रकाशक : विवेक प्रकाशक 7 यू0ए0 जवाहर नगर दिल्ली –7 संस्करण– 2019 पृ0 **134**
15. जोशी गोपा *'भारत में स्त्री असामनता* प्रकाशक : हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 10 केबेलरी लाइन, दिल्ली संशोधित संस्करण–2011 पृ0 **82–83**
16. अग्रवाल डॉ0 जी0के0 *'भारत में सामाजिक आन्दोलन'* प्रकाशक एवं मुद्रक एस बी पी डी पब्लिषिंग हाउस 3/20–बी निकट तुलसी सिनेमा, आगरा–मथुरा बाईपास रोड, आगरा–282002 (उ0प्र0) पृ0 **158–159**
17. महाजन डॉ0 धर्मवीर, महाजन डॉ0 कमलेश *'अपराध शास्त्र'* प्रकाशकः विवेक प्रकाशन : 7 यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली–7 संस्करण 2019 पृ0 **225 – 226**
18. मदन डॉ जी0आर0 *'समाज कार्य'*, प्रकाशन : विवेक प्रकाशक 7 यू0ए0 जवाहर नगर दिल्ली – 7 पृ0 **112**